

फा.सं. 17011/3/2009-एमपीआर

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 18 फरवरी, 2010

सेवा में,

राज्योंके मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव/सभी राज्य सरकारों के निदेशक (कृषि)।

विषय: रियायत योजना के अंतर्गत विपणन प्रबन्धन के अधीन एसएसपी की बिक्री के लिए उर्वरक विभाग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रियायत योजना के अंतर्गत, वर्तमान दिशा निर्देशों के अधीन अन्य उर्वरक कंपनियों के डीलर नेटवर्क के माध्यम से उत्पादकों द्वारा एसएसपी की बिक्री करने की अनुमति है। विक्रेताओं के माध्यम से एसएसपी की बिक्री के लिए उत्पादकों को विशिष्ट अवधि के दौरान एसएसपी की बिक्री से पूर्व उर्वरक विभाग की अनुमति लेनी की अपेक्षित होती। तथापि, यह देखा गया है कि कुछ उत्पादकों ने उर्वरक विभाग द्वारा विपणन व्यवस्था की स्वीकृति मिलने से पहले ही अपनी एसएसपी की बिक्री कर दी थी जो सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है।

2. उपर्युक्त विषय की जांच विभाग में की गयी है तथा यह निर्णय लिया गया है कि विपणन व्यवस्था के लिए उर्वरक विभाग की अनुमति मिलने से पूर्व विक्रेताओं के द्वारा निष्पादित एसएसपी की बिक्री पर उत्पादकों/ विक्रेताओं को विभाग द्वारा रियायत का पूर्ण भुगतान राज्य सरकारों से प्रपत्र 'ख' प्राप्त होने के बाद ही दिया जाएगा। तदनुसार, उर्वरक विभाग से विपणन प्रबंधन की अनुमति से पहले विक्रेताओं द्वारा की गई एसएसपी की बिक्री के लिए, उत्पादकों/ विक्रेताओं को रियायत 'लेखागत' भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, इकाइयों को 100% भुगतान केवल तभी जारी किया जाएगा जब मौजूदा दिशा निर्देशों/नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अधीन संबंधित राज्य सरकारों से प्रपत्र 'ख' प्राप्त हो जाता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा जारी किया गया है।

भवदीय

वीरेन्द्र गुप्ता

(वीरेन्द्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष तथा फैक्स नं. 23388536

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (लेखा), उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
2. लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग।
3. निदेशक (वित्त)/एएफए/अनुभाग अधिकारी(वित्त) उर्वरक विभाग
4. अवर सचिव(रियायत विंग), सहायक निदेशक(लेखा), रियायत विंग।
5. श्री शिओधर मुख्य अभियंता,परियोजना एवं विकास(इ) लि०, पीडीआईएल भवन, ए-14, सेक्टर-1 नोएडा
6. एफएआई, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
7. सभी एसएसपी उत्पादक
8. एनआईसी, उर्वरक विभाग, विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।
9. गार्ड फाइल/नीति फाइल

(वीरेन्द्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार